राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1957/2012/उदयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'सी', उदयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गर्ग एन्टरप्राईजेज, फतेह नगर, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित :-

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री के. जी. खत्री, अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 17/12/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 01/वैट/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.06.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के लिये प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिक्री विवरण प्रपत्रों में रूपये 7439,888/– का ट्रेड डिस्काउण्ट (क्रेडिट नोट) प्राप्त होना दर्शाया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी की आलौच्य अवधि के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.01.2011 में उक्त ट्रेड डिस्काउण्ट को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए इस राशि पर 12.5 प्रतिशत की दर से रिवर्स कर रूपये 92,486/– का आरोपण किया। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त राशि में से रूपये 84,559/– को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गयी। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2012 से प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की जाकर रिवर्स कर (रूपये 84,559/–) अपास्त किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गई है।

लगातार..............2

3. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि विक्रेता द्वारा दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि प्रत्यर्थी के विक्रय मूल्य का भाग होने से कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी की विक्रय राशि पर करारोपण करने में कोई भूल नहीं की थी। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार किये बिना कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करने में विधिक भूल की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी का कथन है कि प्रत्यर्थी द्वारा क्रय किये गये माल के खरीद मूल्य पर विक्रेता को कर अदा किया जाता है। प्रत्यर्थी ने आलौच्य अवधि में राज्य के पंजीकृत व्यवहारी से क्रय किये गये माल की खरीद पर चुकाये गये कर का इन्पुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते प्रत्यर्थी व्यवहारी को उसके विक्रेता व्यवहारी द्वारा ट्रेड डिस्काउण्ड दिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए पर इस करारोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की है। विक्रेता की ओर से प्रत्यर्थी को दिया गया ट्रेड डिस्काउण्ट वेट अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानानुसार भी विक्रेता के विक्रय मूल्य में से कम नहीं हो सकती। अतएव विक्रेता द्वारा वेट इन्वॉयस के सम्पूर्ण विक्रय मूल्य पर राज्य सरकार को वैट चुकाया जाकर की गई खरीद के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को विक्रेता द्वारा दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि पर कर आरोपित करना पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित है। विद्वान अभिभाषक ने उक्त तर्कों के समर्थन में **कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'बी' उदयपुर; (2012) 33 टैक्स अपडेट 270 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'सी' जोधपुर बनाम मैसर्स मिर्चूमल इलेक्ट्रोनिक्स; (2012) 34 टैक्स अपडेट 117 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–जालोर बनाम मैसर्स सोलंकी कृषि भण्डार; टैक्स डाइजेस्ट वॉल्यूम–1 पार्ट–1 पेज 31 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत जालौर बनाम मैसर्स अम्बिका सीमेन्ट एजेन्सीज, सायला व अन्य एवं (2014 40 अपडेट 203 सहायक आयुक्त, वृत–ए, भरतपुर बनाम मैसर्स किशोरी श्याम ब्रिजेश कुमार, भरतपुर** का हवाला देते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

लगातार..............3

6. प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में विक्रेता व्यवहारी से ट्रेड डिस्काउण्ट (क्रेडिट नोट) प्राप्त करना दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रेड डिस्काउण्ट राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए कर आरोपित किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 2(36) में **'विक्रय मूल्य'** को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :–

(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

7. वेट अधिनियम की धारा 2(36) की उक्त विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय इन्वायस जारी होने के बाद प्रदत्त ट्रेड डिस्काउण्ट्स को विक्रय मूल्य से कम नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्यर्थी के सम्पूर्ण खरीद मूल्य पर विक्रेता द्वारा पूरा कर चुकाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने वेट अधिनियम के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार कर आरोपित कर अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्तों में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है।

8. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

17.12.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य